<u>समाचार</u>

दुकान, भवन आदि के बकायादार 18 जनवरी तक जमा कराए बकाया राशि अन्यथा होगी कार्यवाही

कोरबा 13 जनवरी 2021 —नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा लीज किराए पर दिए गए दुकानों, भवनों की राशि जमा न करने वाले 275 बड़े बकायादारों से कहा गया है कि वे 18 जनवरी 2021 तक किराए की बकाया राशि जी.एस.टी.राशि व विलंब शुल्क सहित निगम कोष में जमा कराएं अन्यथा बिना किसी सूचना के दुकानों, भवनों में ताला लगाकर उनके आबंटन को निरस्त करने की भी कार्यवाही की जाएगी।

निगम द्वारा अपने स्वामित्व की दुकानों, भवनों, ठेलों आदि का आबंटन लीज शर्तो के अधीन निर्धारित किराए पर संबंधित व्यक्तियों को किया गया है, इन व्यक्तियों द्वारा काफी समय से किराया निगम में जमा नहीं कराया जा रहा, जिससे निगम को आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। विभिन्न करों व किराए आदि से प्राप्त राशि से ही निगम शहर का विकास एवं नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराता है, समय पर भुगतान न किए जाने पर निगम की इन सेवाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन बकायादारों को निगम द्वारा डिमांड नोट अभियाचन बिल देकर किराया जमा करने को कहा गया था किन्तु उनके द्वारा बकाया राशि निगम में जमा नहीं कराई गई। निगम द्वारा ऐसे 275 बड़े बकायादारों को अंतिम नोटिस भी जारी की गई थी। इन बकायादारों से निगम ने कहा है कि वे 18 जनवरी 2021 तक अपनी बकाया राशि निगम कोष में अनिवार्य रूप से जमा करा दें अन्यथा बिना किसी सूचना के दुकान, भवन में निगम द्वारा ताला लगाने के साथ ही आबंटन को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।